<u>संचिका संख्या : 5030/18</u>

<u>दिनांक : .28.06.2022</u>

आवेदिका के द्वारा उन्हें इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं दिये जाने के आरोप के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया है।

पूर्व में जिला अधिकारी औरंगाबाद का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि 2011 में SECCसूची में आवेदिका का नाम नहीं था। अब उसे आवास प्लस के अंतर्गत उसका नाम समर्पित किया गया है जो क्रम सं0 216 पर है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी औरंगाबाद से उपरोक्त सूची की प्रति उपलब्ध कराते हुए जिसमें कहां तक के व्यक्तियों को लाभ दिया गया है यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था।

जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के पत्र के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी गोह का प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका आवास योजना के लिए योग्य लाभार्थी है। वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा जारी SECCसूची में वित्त वर्ष 2016—17 से 2019—20 तक आवास दिया गया है। SECCसूची में तेयाप पंचायत में सामान्य जाति के 267 एवं अनुसूचित जाति के 81 लाभुकों का नाम था, जिसमें सामान्य जाति के योग कुल 168 एवं अनुसूचित जाति के कुल 54 लाभुकों आवास योजना का लाभ दिया गया है। आवेदिका का नाम उक्त सूची में शामिल नहीं था वर्तमान में आवेदिका का नाम आवास प्लस एप के माध्यम से जोड़ा गया है उसी क्रम सं0 216 पर है । आगामी लक्ष्य प्राप्त होने पर लगभग 04 माह के अन्दर उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जायेगा।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदिका को भेजते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, परन्तु प्रत्युत्तर अप्राप्त है।

अतः प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों जिसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि आवेदिका को 4 माह के अंदर इंदिरा आवास योजना का लाभ उपलब्ध कर दिया जायेगा।

अतः जिलाधिकारी औरंगाबाद को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए 3 माह के भीतर आवेदिका को नियमानुसार इंदिरा आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने की अनुशंसा के साथ इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश प्रति आवेदिका को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson